


Form No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् हज़ूर सिंह बनाम आसी देवी वगैरा किस्म मुकदमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आरटीएक्ट वाद संख्या 177/2014

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
6.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पुनः पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए पत्रावली में इसी स्तर पर खारिज करने हेतु नोट प्रेस की गई।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को पुनः पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>निर्णय आदिनांक 16.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर।

